एम.ए.सी.पी. सं. ४३२/२०१७
श्रीमती सुमन यादव आयु लगभग ४० वर्ष पत्नी श्री मंशाराम निवासी मकान नम्बर ३३२ खुशीपुरा थाना नवाबाद जिला झाँसी, उ.प्र

--------याचिया

प्रति

१. रहीश खाँ तनय मुन्ना निवासी मकान नम्बर १८६अन्दर ओरछा गेट जिला झाँसी
..........चालक वाहन सं. यू.पी.९३ ए टी १५८६
२. श्रीराम जनरल इश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिए शाखा प्रबन्धक,श्रीराम जनरल इश्योरेन्स कम्पनी लि.सिविल लाईन झाँसी
............बीमाकर्ता वाहन सं. यू.पी.९३ ए टी १५८६ पोलिसी नं. १०००३/३१/१५/४७३०८३ वैधता दिनाँक २७.१२.२०१४ से २६.१२.२०१५ तक
३. सुभान खाँ पुत्र जामा खॉ निवासी १३० तलैया अदर ओरछा गेट, झाँसी
.........पंजीकृत स्वामी वाहन सं. यू.पी.९३ ए टी १५८६

--------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री अजय कुमार मिश्रा
विपक्षी सं. १ के अधिवक्ता- श्री याकूब अहमद मंसूरी
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता- श्री दीपक श्रीवास्तव

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचिया के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. २ श्री राम जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

याचिया व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ७बी पर याचिया व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ७बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा आज तस्दीक किया गया। ७बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ २२,००० याचिया को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ७बी की पुष्टि की गयी है तथा याचिया श्रीमती सुमन यादव सुलहनामा ७बी में दर्शित कुल ₹ २२,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी याचिया को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ७बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिया की याचिका सुलहनामा ७बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ७बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं २ श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ २२,००० (बाईस हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.एस.सी. सं. SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.Jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याचिया श्रीमती सुमन यादव आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.06 19:19:12 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
JHANSI